



UPSI120020782018

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ, सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी-(रजत शुक्ला)(उ०प्र० न्यायिक सेवा)UP3272

मेसर्स उज्जवल ट्रेडर्स द्वारा प्रोपाइटर हितेश अग्रवाल

बनाम

गोविन्द उद्योग भसड़िया रेलवे क्रासिंग मथाना आदि।

CIS No-1514/2018

धारा-138 एन०आई०एक्ट।

थाना-बिसवाँ, जनपद सीतापुर।

दिनांक 20.01.2023

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पुकार करवायी गयी। परिवादी स्वयं या उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी दिनांक 27.05.2022 से अनुपस्थित आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी अपना वाद चलाने में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवाद धारा 249 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य है तथा अभियुक्तगणों को उन्मोचित किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

परिवाद धारा 249 दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है तथा अभियुक्तगणों को उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जाये।

दिनांक 20.01.2023

(रजत शुक्ला)

न्यायिक मजिस्ट्रेट

बिसवाँ-सीतापुर।